

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 933वी बैठक दिनांक 28.01.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1422/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	10104/2023	2(a)	सिंगरौली	कोल वाशरी प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं		निरस्त
3.	9920/2023	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये।
4.	9941/2023	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1759/2025	1(a)	मैहर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये।
6.	6847/2020	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	ADS raised by SEAC		परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
7.	P2/1578/2025	1(a)	टीकमगढ़	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1140/2025	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
9.	P2/2037/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		ADS जारी किया जाये।
10.	11091/2023	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	10487/2023	1(a)	कटनी	लेटेराइट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

12.	10256/2023	1(a)	सतना	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/570/2024	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
14.	P2/1064/2025	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
15.	9953/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	9950/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/2104/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1739/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
19.	P2/1859/2025	1(a)	भोपाल	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/1720/2025	1(a)	दतिया	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
21.	7669/2020	1(a)	रायसेन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

1. Proposal No. SIA/MP/MIN/535766/2025, Case No. P2/1422/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.90 Ha., for Production Capacity of 8,000 Cu.mt/year Stone (Gitti), 4000 Cu.mt/year, M-Sand & 3,649 Cu.mt/year Murram, at Khasra No. 100/2, Village-Badigaon, Tehsil- Gulana District- Shajapur (MP) by Smt. Saurama Bai, R/o- H. No. -18, Sheetla Chowk Modipur Chidawad, M.O Badodiya, Tehsil-M.OBadodiya, District-Shajapur(M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 एवं 805वी बैठक दिनांक 24.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 एवं 805वी बैठक दिनांक 24.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा आदेश क्र. 1801 दिनांक 22.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 04 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No. SIA/MP/CMIN/520645/2025, Case No. 10104/2023 Prior Environment Clearance proposed JPVL Coal Washery Plant in an area of 5.00 ha. for Production Capacity of (1 MTPA), Village Majhauri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) by Shri Rajneesh Gaur, Executive Joint Director, M/s Jaiprakash Power Ventures Limited R/o Village-Majhauri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli, (MP)-486886

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


" ..... Committee did not accept above request as this case was discussed in SEAC 808<sup>th</sup> Meeting Dated 08/07/2025 wherein queries were issued. This case was discussed in SEAC 831<sup>th</sup> Meeting Dated 25/09/2025 wherein PP submitted vide their letter dated 25.09.2025 to consider proposal in next SEAC meeting. Today, in the SEAC meeting 852<sup>nd</sup> Dated 13.12.2025 PP & their Env. Co-ordinator submitted that- one more ADS is requested to file amended reply in the case.

In view of above facts as case is listed thrice and PP/consultant failed to present case and requested for ADS second time, hence case can not be recommended for grant of EC, and forwarded to SEIAA for appropriate orders and to communicate displeasure on part of PP and consultant to invite ADS against MOEFCC OM dt 14.09.2009. '

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/534049/2025, Case No. 9920/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for Production Capacity of 15100 cum per annum. at Khasra No.575/1, Village Bardha, Tehsil-Khurai, District Sagar (MP) by Shri Raja Patel, R/o Village Bardha, TehsilKhurai DistrictSagar (MP) 470117

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए प्रतिवेदन के साथ कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. ईआईए प्रतिवेदन में वाटर कंजरवेशन का उल्लेख नहीं है।
3. ईआईए प्रतिवेदन में जीयो हाईड्रोलॉजिकल सर्वे अध्ययन का उल्लेख नहीं है।
4. Soil Profile की जानकारी नहीं दी गई है।
5. Baseline Study Data की जानकारी नहीं दी गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/523031/2025, Case No. 9941/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.2 ha. for Production Capacity of 25000 cum per annum, Khasra No. 679/4/678, Village Jajora Tehsil- Orchha District Niwari - (M.P.) by Shri Raj Kumar, R/o-175/5, Chhaniyapura, Jhansi, District-Jhansi (U.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी द्वारा आदेश क्र. 332 दिनांक 31.07.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.07.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले धार्मिक स्थल से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वीं बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

5. Proposal No.SIA/MP/MIN/539483/2025, Case No.P2/1759/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.589 ha., for Production Capacity of 12,000 cum per annum, at Khasra No. 602, 603, 604, 605/1, 605/4, 605/5, 601/1, Village-Bathiya Tehsil-Maihar (M.P.) by Shri Vikas Kumar Jain, S/o- Shri Nirmal Chand Jain R/o- Ward No. 15, Gandhi Chouk Amarpatan, District- Maihar (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज एवं पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड खदानों के विवरण अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक होता है एवं प्रकरण बी-1 श्रेणी में आता है। जबकि खनिज अधिकारी जिला मैहर द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्र. 1492 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि के सिर्फ 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने का उल्लेख किया गया है एवं उक्त एकल प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित भी नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत कलेक्टर जिला मैहर से उक्त खदान का स्थल निरीक्षण उपरांत 15 दिवस में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये कि क्या प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कितनी खदानों स्वीकृत/संचालित है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/536873/2025, Case No. 6847/2020 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual/Semi Mechanized Method) in an area of 1.191 ha. for production capacity of 10,000 cum per annum at Khasra No. 319, 320 at Village - Banka, Tehsil - Chandia, Dist. Umariya(MP) by Shri Rajesh Mishra S/o Shri K.P.Mishra, R/o Prabhu Narayan Nagar, Dist. Dewas(MP) 484661 Regarding transfer of EC in the name of Shri Veerendra Dwivedi, Partner, M/s JVI Stone Crusher, Gram Banka, Khasra no- 308/1, 308/2,308/3 & 308/4, Tehsil-Chandia, District Umariya (M.P.) – 486661


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण ने पाया कि यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ने 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में Appraisal किये बिना ही प्राधिकरण को प्रेषित (Referred) कर दिया है।

EIA Notification 2006 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा Appraisal कर, स्पष्ट अभिमत (Recommended or Not recommended) दिया जाना आवश्यक (Mandatory) है।

प्रश्नाधीन प्रकरण पुनः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि SEAC द्वारा प्रकरण में नियमानुसार Appraisal किया जाकर स्पष्ट अभिमत (Recommended or Not recommended) के साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को भेजा जाये एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा Appraisal किए बगैर प्रकरण, प्राधिकरण को भेजने (Referred करने) के लिये उत्तर दायित्व का निर्धारण कर प्राधिकरण (SEIAA) को अवगत कसया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण


7. Proposal No. SIA/MP/MIN/520966/2025, Case No.P2/1578/2025 Prior Environment Clearance for Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 17248 cum per annum, at Khasra No. 46, Village- Amarpur, Tehsil – Tikamgarh, District - Tikamgarh (M.P.) by Vikas Yadav, R/O - Ward no25, Mamon Darwaja, Tikamgarh, M.P.


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 एवं 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 एवं 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 3446-51 दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/461943/2024 प्रकरण क्रमांक P2/1140/2025 (J-11015/8/2000-IA-II (M))  
– पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., संयुक्त जनरल मैनेजर (माईन) श्री यू.के. दास, राजदीप रीवा रोड़, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, रकबा 66.434 हे. उत्पादन क्षमता 0.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम मनखारी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि., वरिष्ठ जनरल मैनेजर (माईन) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनखारी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., संयुक्त जनरल मैनेजर (माईन) श्री यू.के. दास, राजदीप रीवा रोड़, जिला सतना (म.प्र.) के नाम चूनापत्थर खदान, रकबा 66.434 हे. उत्पादन क्षमता 0.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम मनखारी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि., वरिष्ठ जनरल मैनेजर (माईन) श्री चन्द्र शेखर पंडित, ग्राम मनखारी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. J-11015/8/2000-IA-II (M) दिनांक 14.02.2001 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 07.04.2021 के अनुसार अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 12.11.2051 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/553774/2025, Case No. P2/2037/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 10680 Cubic Meter, at Khasra No. 608, Village – Rupeta, Tehsil Nagda District -Ujjain (M.P.) by Smt. Lakshmi Raghuwanshi, Proprioter, 01, Subhash Marg, Nagda, Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु खसरा नम्बर 608 के लिये आवेदन किया गया है तथा अनुमोदित खनन योजना व एकल प्रमाण पत्र भी खसरा नम्बर 608 के ही संलग्न है किन्तु खसरा पंचशाला खसरा नम्बर 195 का संलग्न है तथा खसरा मैप में खसरा नम्बर की री नंबरिंग खसरा क्रमांक 193 का उल्लेख किया गया है जबकि पोर्टल पर खसरा पंचशाला खसरा नम्बर 195 का अपलोड किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बरों में भिन्नता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बरों के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाये।
2. प्रकरण में अपलोड लीज अनुबंध में कांट-छांट प्रतीत हो रही है तथा लीज अनुबंध की दिनांक भी अंकित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक लीज अनुबंध की मूलकॉपी परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें। जिससे लीज की वैधता की स्पष्ट जांच हो सके।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/545482/2025, Case No. 11091/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. Production Capacity of 50000 cum per year, at Khasra No. 1165/1 Govt. Land, Village-Fursiya, Tehsil Singoli, District Neemuch (MP) by Shri Kamlesh Dhakar, R/o Near Village Jhantla, Tehsil Singoli, District -Neemuch (MP)-458228

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच द्वारा आदेश क्र. 1662 दिनांक 23.11.2016 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव


  
(डॉ. सुन्दा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/548656/2025, Case No. 10487/2023 Prior Environment Clearance for Laterite Deposit (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.34 ha., for Production Capacity of 88857 Tons per Annum, Khasra No. 61 (P) & 65 Village- Majhgawan Tehsil- Badwara, District Katni (M.P.) by Shri Ranjan Grover, R/o Civil Lines, Near Rest House No. 1, P.O. and District katni M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 12135-36 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से दिनांक 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2052 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06/01/2022 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नहीं डालेगा तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 43 वृक्षों में से काटे जाने वाले 37 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 370 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(दीपक अग्र्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

12. Proposal No.SIA/MP/MIN/532659/2025, Case No.10256/2023 Prior Environment Clearance for Laterite Deposit (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.024 ha., for Production Capacity of 45205 TPA, at Khasra No. 833/2, 840/1/2, Village- Karigohi Tehsil- Majhgawan District Satna (M.P.) by Shri Ratnakar Chaturvedi, Proprietor, Mukhtiyaar ganj, District Satna (M.P.).


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 10514 दिनांक 03.08.2022 के माध्यम से दिनांक 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2052 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं एवं किस प्रजाति के हैं तथा इनमें से कितने वृक्षों को काटा जायेगा के संबंध में स्पष्ट जानकारी कलेक्टर जिला सतना से अभिप्रमाणित करवाकर 01 माह में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जावे इसके उपरांत ही खनन संक्रियाएं प्रारंभ की जायेंगी। उक्त शर्त का पालन न किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वीं बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/547160/2025, Case No. P2/570/2024 Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00, for Production Capacity of Gitti 20,000 cum/year, M-Sand 56,000 cum/year & Murrum 7,500 cum/year, at Khasra No. – 420/1/1, Village – Akawi Tehsil-Mhow, District- Indore (M.P.) by M/s Tirumala Traders, Partner Shri Pankaj Mishra, Owner, R/o- Manak Chowk Mhow District- Indore State- M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड खनन योजना पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है अतः खनन योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतीत नहीं होती है इसके उपरांत भी SEAC द्वारा बिना अनुमोदित खनन योजना के किस आधार पर परीक्षण कर प्रकरण में अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र भी अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/545610/2025, Case No. P2/1064/2025 Prior Environment Clearance for Crusher Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.964 ha. for Production Capacity of Gitti 10,000 and M-Sand 50,000 cum/annum and Murrum 27,000 cum/annum, at Khasra No. 1032, 1033/2, Village: Ambachandan, Tehsil: Mhow & District: Indore (M.P.) by M/s Agrawal Mines And Minerals, Partner - Shri Kalyan Agrawal, 21, Dhanwantri Nagar, Dist. - Indore, (M.P.) 451010

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई भू-स्वामी सहमति शपथ पत्र नोटराईज्ड होना नहीं पाया गया है, बिना नोटराईज्ड शपथ पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-स्वामी का सहमति शपथ की नोटराईज्ड प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/528216/2025, Case No. 9953/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 15200 Cum per annum, at Khasra No. 173, Village-Turkiyapa, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) by Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 2129 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित नदी की Qualitative, Quantitative and Biological स्टडी रिपोर्ट अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जायेगी। यदि उक्त शर्त का परिपालन नहीं किया जाता है तो पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक अग्र्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/528290/2025, Case No. 9950/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for Production Capacity of 14820 Cum per annum, at Khasra No. 173, Village-Turkiyapa, Tehsil Ratlam, District-Ratlam (MP) by Shri Pratik Vijayvargiya, Owner R/o Village-Sarwani Khurd, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 852वी बैठक दिनांक 13.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 2131 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित नदी की Qualitative, Quantitative and Biological स्टडी रिपोर्ट अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जायेगी। यदि उक्त शर्त का परिपालन नहीं किया जाता है तो पर्यावरणीय स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मान्य होगी।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान),  
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

  
(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/551372/2025, Case No. P2/2104/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for Production Capacity of Stone (Gitti) 20000 Cum/ Annum and M – Sand 30000 Cum/Annum, at Khasra No. 233, Village Ramnagar, Tehsil Khachrod, District Ujjain (MP) by Shri Rajesh Dhakad, Lessee, 50, Chikitsalya Marg Nagda District - Ujjain (M.P)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 1325 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/555827/2025, Case No. P2/1739/2025 Prior Environment Clearance for Tata Consultancy Services Limited, Indore. IT /ITES SEZ Campus. at IT/ITES SEZ at Scheme No. 151 & 169B, Village - Tigaria Badshah, Khasra Number(s) 141/1/1, 142/1/1/2, 142/1/2/2, 142/1/3/2, 142/2, 143/1/2, 143/2/2, 144/1/1/2, 14 4/1/2, 144/2/1/2, 145, 146/1/1, 153/1/2, 153/2/2, 153/2/1/2, 154/1, 154/2, 155/1,1 55/2, 156/1/1, 156/1/2, 156/2/1, 158/4/1/2, 158/5, 159, 160, 161, 162/1/1, 162/1/2, 162/2/1/1, 162/2/1/2, 162/2/2, 163, 165/1Part, 165/2/1/2Part, 165/2/2/2, 165/3/1, 165/3/2/2, 166/1/1/2, 166/1/3/1, 166/2/1/1, 166/2/1/2, 166/2/2, 166/2/3, 166/3 /1/1/1, 166/3/1/1/2, 166/3/1/3, 166/3/2/2, 167/1/1/1, 164/1/2, 164/2/1Part, 16 5/1Part, 165/2/1/2Part, 164/2/1 Part Indore and Village -Bada Bangarda, Khasra Number(s) 634/1/2Part, 583/3/2, 584/1/2, 634/1/2 Part, Super Corridor, Tehsil-Hatod, Distt-Indore (M.P.). Built-up Area - 86,838 m2 + 49,334.58 m2 = 1,36,172.58 m2 by Shri Tanmay Das, Manager, M/S Tata Consultancy Services Limited , IT/ITES SEZ at Scheme No. 151 & 169B, Vill. Bada Bangarda and Tigaria Badshah, Super Corridor, Tehsil Hatod, Indore, Distt.Indore (M.P.) 453112.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 854वी बैठक दिनांक 18.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण किया गया। प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाए—

1. प्रस्तुत साइट प्लान अस्पष्ट है एवं संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं है, अतः स्पष्ट एवं विधिवत हस्ताक्षरित साइट प्लान प्रस्तुत किया जावे।
2. मौजूदा एसटीपी (STP) प्रस्तावित विस्तारित क्षमता के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं; इस संबंध में विस्तृत स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जावे।
3. प्रस्तावित भवन में किये जाने वाले वृक्षारोपण की ट्री मैपिंग योजना प्रस्तुत की जावे।
4. प्रस्तुत पेयजल संबंधी बिल से प्रस्तावित भवन विस्तार हेतु आवश्यक जल आपूर्ति क्षमता स्पष्ट नहीं हो रही है, अतः वर्तमान विस्तारित आवश्यकता के अनुरूप संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
5. विस्तारित क्षमता के अनुसार वेस्ट वाटर डिस्चार्ज की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जावे इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**19. Proposal No.SIA/MP/MIN/520609/2025, Case No P2/1859/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Deposit (Opencast semi mechanized method), in an area 2.25 ha., for production Capacity of 10,000 m3/Year, at Khasra No. 69, Village-Rolukhedi, Tehsil-Huzur, District Bhopal (MP) by M/s Vamna Mining Partner Smt. Rakhi Singh Chouhan, 66 Narayan Nagar Hosangabad Road Bhopal Huzur University Huzur Bhopal Madhya Pradesh – 462026**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 919वी बैठक दिनांक 08.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-*

*अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में पत्थर नहीं है के संबंध में जियोलॉजिकल रिपोर्ट 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 828वी बैठक दिनांक 16.09.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 5636-41 दिनांक 27.04.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**20. Proposal No. SIA/MP/MIN/504167/2024, Case No. P2/1720/2025, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity 3,000 M3/year, at Khasra No. 1, Village Teekar Tehsil Indergarh District Datia (M.P.) by Shri Akash Udainiya S/o Shri Suresh Kumar Ward No. 02, Tehsil Indergarh, District Datia (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 831वीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 918वीं बैठक दिनांक 06.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

**“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रश्नाधीन खदान पहाड़ पर स्थित है एवं खदान के पास एक माताजी का मंदिर परिलक्षित है जिसमें खनन के दौरान क्षति होने की अशांका भी है तथा ईको सिस्टम प्रभावित होगा।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जिला दतिया से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत क्या प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 08.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 918वीं बैठक दिनांक 06.12.2025 में कलेक्टर जिला दतिया से चाही गई जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 933वी बैठक दिनांक  
28.01.2026 का कार्यवाही विवरण

21. Proposal No. SIA/MP/MIN/407337/2024, प्रकरण क्र. 7669/2020 परियोजना प्रस्तावक मोहम्मद आसिफ खान आत्मज श्री अब्दुल खान, ग्राम बरखेड़ी टुण्डा, पोस्ट बरखेड़ी चौराहा, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11930 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 198, ग्राम खोह, तहसील – रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 776वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र के अंदर 04-05 मकान तथा खदान के समीपस्थ घनी आबादी एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर शमशान घाट परिलक्षित है। अतः कलेक्टर, जिला रायसेन से स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये कि उक्त क्षेत्र में मानव बसाहट एवं शमशान घाट को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 776वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 में कलेक्टर जिला रायसेन से चाही गई जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष